बिहार विधान परिषद् सचिवालय

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं.-05/2019

[चालक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु]

दिनांक: 01.01.2019

1. बिहार विधान परिषद् सचिवालय के विज्ञापन सं.-05/2019 के आलोक में चालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 03.12.2019 से 06.12.2019 तक अभ्यर्थियों के वाहन चालन लाईसेंस के जांचोपरान्त वैध लाईसेंस पाए गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार कार्यक्रम आयोजित है।
2. जांच में वैध लाईसेंस पाए गए अभ्यर्थियों का सर्वप्रथम साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का चालन कौशल/प्रायोगिक (ट्रेड जांच) परीक्षा ली जाएगी।
3. वैध लाईसेंस पाए गए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 09.01.2020 से 12.01.2020 तक अलग-अलग बैच में बिहार विधान परिषद् परिसर में आयोजित है। संबंधित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की सूचना आवेदन में अंकित मोबाईल नं. एवं ई-मेल पर प्रेषित है।
4. साक्षात्कार हेतु अलग से प्रवेश-पत्र (Admit Card) निर्गत नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को पूर्व में ड्राईविंग लाईसेंस जांच हेतु निर्गत प्रवेश-पत्र (Admit Card) ही मान्य होगा।

अभ्यर्थियों को डाक से (by Post) इसकी सूचना निर्गत नहीं की जाएगी।

----

5. साक्षात्कार हेतु परीक्षार्थी अपने साथ प्रवेश-पत्र (Admit Card) के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, फोटोयुक्त पहचान-पत्र की मूल प्रति एवं एक-एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति तथा ऑनलाईन आवेदन की डाउनलोड प्रति अवश्य लाएंगे।
6. परीक्षार्थी साक्षात्कार हेतु अपने क्रमांक के अनुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर बिहार विधान परिषद् भवन में साक्षात्कार स्थल तक पहुंचने हेतु शहीद स्मारक के सामने बिहार विधान मंडल के मुख्य द्वार सं.-10 के अन्दर बड़े मैदान में रिपोर्ट करेंगे। निर्देश प्राप्त होने पर SBI ATM के नजदीक गेट सं.-09 से प्रवेश कर परिषद् भवन में साक्षात्कार हेतु प्रवेश करेंगे। साक्षात्कार के पश्चात् परीक्षार्थी पोस्ट ऑफिस गेट से बाहर जायेंगे।
7. भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ हेतु परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र की प्रति अलग से अपने पास रखेंगे। प्रत्येक बैच की परीक्षा की समाप्ति के पश्चात प्रवेश-पत्र परीक्षार्थियों से जमा करा दिया जाएगा।
8. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर पहचान-पत्र यथा मतदाता पहचान-पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड या ई-आधार (कलर प्रिंट) आदि के साथ उपस्थित होंगे।
9. प्रवेश-पत्र एवं पहचान-पत्र (मूल प्रति में) के बिना परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। पहचान-पत्र की छायाप्रति मान्य नहीं होगी।
10. परीक्षार्थी परीक्षा के निर्धारित समय से 60 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पहूंचेंगे। परीक्षा केन्द्र के गेट बंद होने की निर्धारित समय सीमा के बाद परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
11. परीक्षा केन्द्र में घड़ियां, पुस्तकें, कागज के टुकड़े, पत्रिकाएं, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स तथा मोबाईल फोन, ब्लूटुथ डिवाइस, हेडफोन, पेन- बटन होल कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस, डिजिटल डायरी आदि लाना सख्त वर्जित है। यदि ऐसी कोई सामग्री अभ्यर्थी के पास पायी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है और उसके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई आरम्भ की जा सकती है।

12. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र पर तलाशी की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
13. परीक्षार्थी अपनी उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन में दर्ज करेंगे अन्यथा उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा।
14. परीक्षार्थियों को किसी भी परिस्थिति में वीक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई परीक्षार्थी वीक्षक/पर्यवेक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना बाहर जाते हैं तो उन्हें पुन: प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा।
15. यदि किसी तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारणवश परीक्षा विलम्ब से शुरू होती है या बीच में बाधित हो जाती है तो अभ्यर्थियों को परीक्षा पदाधिकारी द्वारा दिए जाने वाले अनुदेशों का अनुसरण करना अनिवार्य होगा। उन्हें समस्या का उपयुक्त समाधान होने तक धैर्यपूर्वक प्रतिक्षा करनी पड़ सकती है।
16. साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने पर परीक्षार्थी संबंधित पदाधिकारी द्वारा दिए गए सभी अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन करेंगे। यदि कोई परीक्षार्थी साक्षात्कार स्थल पर शांति भंग करते हुए पाए जाते हैं, तो उनकी अभ्यर्थिता तत्काल निरस्त कर दी जाएगी तथा उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
17. bvphelpdesk@gmail.com पर परीक्षा की तिथि से एक दिन पूर्व तक ई-मले भेज कर साक्षात्कार से संबंधित जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
18. किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र/ साक्षात्कार की तिथि एवं समय बदलने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा केन्द्र पर आने-जाने हेतु कोई व्यय देय नहीं होगा।

कोई भी सरकारी अथवा गैर सरकारी बाह्य व्यक्ति बिहार विधान परिषद् सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे सम्पर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब दूरभाष संख्या- 06122215667 तथा ई- मेल: blc-bih@nic.in पर सूचित करें। ऐसे तत्वों से संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ह./-
(विनोद कुमार)
कार्यकारी सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्